	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आषाढ़ 29, गुरूवार, *शाके* 1945-जुलाई 20, 2023 *Asadha 29, Thursday , Saka 1945- July 20, 2023*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, जून 30, 2023

संख्या F(05)PW/SS/2023-24/ 1001 :-राजस्थान के राज्यपाल द्वारा भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानुसार एवं राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के निर्देशानुसार **Consultancy work for preparation of DPR including Land Acquisition for construction of Mandawari Bypass (Lalsot) Dausa (approximate length 5.00 Km.)** हेतु सार्वजनिक प्रयोजनार्थ तहसील लालसोट जिला दौसा में निम्नानुसार प्रभावित गांवों में भूमि अर्जन किया जाना प्रस्तावित है।

यह अधिसूचना जारी कर भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1) एवं राजस्थान भूमि अर्जन] पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम 2016 के प्रावधानों के अनुसरण में संलग्न सूची अनुसार प्रभावित क्षैत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु संबंधित ग्राम पंचायत नगरपालिका या नगर निगम से सम्पर्क करने एवं राजस्थान भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के नियम 6(8) की पालना सुनिश्चित करने हेतु अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड लालसोट को अधिकृत किया जाता है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4(6) के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड अधिकारी लालसोट संबंधित भूमि अवाप्ति अधिकारी होंगें।

विवरण

मण्डावरी बाईपास सड़क निर्माण परियोजना हेतु अवाप्त की जाने वाली भूमि हेतु भूमि अर्जन] पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1) कर कार्यवाही बाबत् प्रस्ताव जिला दौसा

क्र.सं.	ग्राम का नाम	जिला	तहसील	सक्षम प्राधिकारी एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी
1	1 मण्डावरी 2 किषोरपुरा 3 सुरतपुरा 4 श्यामपुरा खुर्द	दौसा	लालसोट	उपखण्ड अधिकारी] लालसोट

अतः राज्य सरकार उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन उक्त भूमि के सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु नियमानुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड- लालसोट जिला-दौसा द्वारा सलाहकार मैसर्स जेएसवी टेक्नोक्राफ्टस् (रोशन कुमावत सामाजिक विषेषज्ञ 416-418, 4वीं मंजिल ओके प्लस बिल्डिंग अपेक्स सर्किल मालवीय नगर जयपुर मोबाईल 9414876990 एजेन्सी का चयन किया गया है।

उपरोक्त चयनित संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित गाँवों में सामाजिक समाघात निर्धारण राजस्थान भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 के प्रावधानुसार किया जायेगा। सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगाः

1. संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जावेगी।

2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गाँवों में समुचित स्थान पर प्रदर्षित की जावेगी। तत्पश्चात् प्रभावित गांवों में पर्याप्त प्रचार-प्रसार के उपरान्त जनसुनवाई की जावेगी, जिसका कार्यवाही विवरण समुचित रूप से रिकॉर्ड किया जायेगा।

3. जन-सुनवाई के दौरान आए सुझावों/आपत्तियों के समुचित समाघात को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना रिपोर्ट तैयार की जावेगी।

4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गांवों में संबधित पंचायत/नगरपालिका के परामर्श से की जावेगी।

5. सामाजिक समाघात मूल्यांकन के दौरान किसी भी प्रकार के बल प्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अछूत और शून्य बना देगा।

6. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसूचना की तिथि से प्रारंभ किया जायेगा एवं अधिकतम 4 माह की अवधि में सम्पूर्ण करवाया जाना आवश्यक है।

सम्पर्क सूत्रः-

सामाजिक समाघात निर्धारण ईकाई
कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड लालसोट जिला दौसा

सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी
मैसर्स जेएसवी टेक्नोक्राफ्टस्
416-418, 4वीं मंजिल] ओके प्लस बिल्डिंग]
अपेक्स सर्किल] मालवीय नगर] जयपुर।
(श्री रोशन कुमावत, -सोषल एवं आर एण्ड आर स्पेषलिस्ट
मोबाईल 9414876990

सुनील गुप्ता,
संयुक्त सचिव (पथ)
सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।